## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

**अपीलार्थी**

श्री शंकरलाल पुत्र अनाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- पाडीव, तहसील व जिला- सिरोही

बनाम

**प्रत्यर्थी**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 23/2019

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

**उपस्थिति:**

1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह देवड़ा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 25 फरवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 63/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.9.2019 बाबत ग्राम पाडीव के खसरा संख्या 3815/885 रकबा 0.3400 हेक्टेयर किस्म ब-III का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं फसल नीलाम करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने व फसल नीलाम करने का आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के ही अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमित भूमि के चारों ओर कांटो की बाड की हुई व लोहे की फाटक लगी हुई के अलावा साढे पांच गुणा सात मीटर पक्का टिन शेड कमरा व डेढ गुणा डेढ मीटर शिवजी का मंदिर व चबूतरा तथा तीन दो मीटर पानी का हौजा बना हुआ होने का कथन किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व के अतिक्रमण की कोई रिपोर्ट पत्रावली में शामिल नही की है एवं न ही इस संबंध में साक्ष्य ली है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी के बयान कलमबद्ध नही किये है। यह कि अपीलार्थी का विवादित भूमि के पास खातेदारी हक अधिकारों का कुआं स्थित है, जिस

.....पेज दो पर

भूमि पर पिछले कई वर्षो से शांति पूर्वक कब्जा काश्त है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार विवादित भूमि को अपीलार्थी नियमन कराने का अधिकारी था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पुराने कब्जे को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर नही दिया है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया हल्का पटवारी, पाडीव द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत् 2076 में उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच नियमानुसार निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, पाडीव द्वारा अपीलर्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम पाडीव के खसरा संख्या 3815/885 रकबा 0.3400 हेटैयर किस्म बा.3 भूमि पर काश्त कर, पक्का टीनशड कमरा, पानी का हौज, मंदिर चबूतरा बनाकर भूमि के चारों ओर कांटो की बाड व लोहे की फाटक लगाकर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी स्वयं एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। एसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.05 18:06:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: